रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270] नई दिल्ली, बुधवार, जून 12, 2002/ज्येष्ठ 22, 1924
No. 270] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 12, 2002/JYAISTHA 22, 1924

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2002

सा.का.नि. 422(अ).—औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 33ख की उपधारा (2) के खंड (छछक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् बनाना चाहती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) तारीख 6 जून, 2001 में पृष्ठ 4 से 5 पर प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 419(अ) तारीख 6 जून, 2001 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 6 जून, 2001 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, केंद्रीय सरकार को उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 33ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम, 2002 है।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में नियम 168 में, "औषधि का वर्ग" से संबंधित स्तंभ में, मद 1 के सामने "एकल औषधियां" शब्दों के स्थान पर "औषधियां" शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. के. 11023/44/2000-डी सी सी (आई एस एम)]

एल. प्रसाद, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :— मूल नियम सरकारी राजपत्र में अधिसूचना संख्या 28-10/45-एच (1) तारीख 21 दिसंबर, 1945 के द्वारा प्रकाशित हुआ था और उसमें पिछली बार सं. सा.का.नि. 311(अ), तारीख 1-5-2002 के द्वारा संशोधन किया गया। 1-5-1979 तक यथासंशोधित औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) के प्रकाशन, जिसमें औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (पी डी जी एच एस-61) है, में अंतर्विष्ट है।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Indian System of Medicine and Homoeopathy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2002

G.S.R. 422(E).—Whereas a draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, which the Central Government, after consultation with the Ayurvedic, Siddha and Unani Drugs Technical Advisory Board, proposes to make, in exercise of the powers conferred by clause (gga) of sub-section (2) of section 33-N of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), was published, as required by the said section, at page 4 to 5 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 6th June 2001, under the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Indian Systems of Medicine & Homoeopathy) number 419(E), dated the 6th June, 2001, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before expiry of a period forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 6th June, 2001;

And whereas no objections and suggestions from the public on the said draft rules have been received by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 33-N of the said Act, the Central Government, after consultation with the Ayurveda, Siddha and Unani Drugs Technical Advisory Board, hereby makes the following rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, namely :—

1. (1) These rules may be called the Drugs and Cosmetics Rules (4th Amendment), 2002.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, in rule 168, in the column relating to "Class of drugs", against item 1, for the word "Single drugs", the word "Drugs" shall be substituted.

[F. No. K 11023/44/2000-DCC(ISM)]

L. PRASAD, Jt. Secy.

Foot note:—The principal rules were published in the Official Gazette vide notification No. F.28-10/45-H(1) dated the 21st December, 1945 and the last amended vide G.S.R. No. 311(E) dated the 1-5-2002. The Drugs and Cosmetics Rules, 1945 as amended up to 1-5-1979 is contained in the publication of the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) containing the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (PDGHS-61).

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2002

सा.का.नि. 423(अ).—औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की पहली अनुसूची का और संशोधन करने के लिए कतिपय संशोधनों का प्रारूप जिसे केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 33ण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् बनाना चाहती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) तारीख 6 जून, 2001 में पृष्ठ 2 से 3 पर प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग) की अधिसूचना संख्या 418(अ) तारीख 6 जून, 2001 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीन मास की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र, की प्रतियां जनता को तारीख 6 जून, 2001 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, केंद्रीय सरकार को उक्त प्रारूप संशोधनों के संबंध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 33ण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की पहली अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की पहली अनुसूची में, "आयुर्वेद" शीर्ष के अधीन—

(क) क्रम संख्यांक 54क के सामने प्रविष्टि में, कोष्ठकों, शब्द और अंक "(भाग-1)" का लोप किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्यांक 54ख और उससे संबंधित प्रविष्टयों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"54ग-भारतीय आयुर्वेद भेषज संहिता।"

[फा. सं. के. 11023/44/2000-डी सी सी (आई एस एम)]

एल. प्रसाद, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण: —मूल नियम सरकारी राजपत्र में अधिसूचना संख्या 28-10/45-एच (1) तारीख 21 दिसंबर, 1945 के द्वारा प्रकाशित हुआ था और उसमें पिछली बार सा.का.नि. संख्या 311 (अ), तारीख 1-5-2002 के द्वारा संशोधन किया गया। 1-5-1979 तक यथासंशोधित औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालये, (स्वास्थ्य विभाग) के प्रकाशन, जिसमें औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (पी डी जी एच एस-61) है, में अंतर्विष्ट है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2002

G.S.R. 423(E).—Whereas a draft of certain amendments further to amend the First Schedule to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), which the Central Government, after consultation with the Ayurvedic, Siddha and Unani Drugs Technical Advisory Board, proposes to make, in exercise of the powers conferred by Section 33-O of the said Act, was published, as required by the said section, at pages 2 to 3 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 6th June, 2001, under the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Indian Systems of Medicine & Homoeopathy) number G.S.R. 418(E), dated the 6th June, 2001, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of three months from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 6th June, 2001;

And whereas no objections and suggestions from the public on the said draft amendments have been received by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 33-O of the said Act, the Central Government, after consultation with the Ayurveda, Siddha and Unani Drugs Technical Advisory Board, hereby makes the following further amendments to the First Schedule to the Drugs and Cosmetics Act, 1940, namely :—

In the First Schedule to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), under the heading "Ayurveda",—

(a) in the entry against serial number 54 A, the brackets, word and figure "(Part-I)" shall be omitted;

(b) after serial number 54 B and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

"54 C–Ayurvedic Pharmacopoeia of India."

[F. No. K. 11023/44/2000-DCC(ISM)]

L. PRASAD, Jt. Secy.

Foot note:— The principal rules were published in the Official Gazette vide notification No. F.28-10/45-H(1) dated the 21st December, 1945 and the last amended vide G.S.R. No. 311(E) dated the 1-5-2002. The Drugs and Cosmetics Rules, 1945 as amended up to 1-5-1979 is contained in the publication of the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) containing the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (PDGHS-61).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.